



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 06-08-2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 212/2020 धारा

147/148/149/307/302/506/120बी/34 भादवि व मु0अ0सं0 114/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली से ट्रान्जिट रिमाण्ड पर लेकर माननीय न्यायालय बागपत के समक्ष पेश कर कारागार भेजा गया ।

संक्षिप्त विवरण- थाना छपरौली के परमवीर तुगाना हत्याकांड में वांछित चल रहे दो अभियुक्त प्रवेन्द्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत व अभियुक्ता राजबाला पत्नि नरेश राठी निवासी टीकरी थाना दोघट बागपत वांछित चल रहे थे जिनके विरुद्ध मफरूरी में आरोपपत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियुक्त प्रवेन्द्र पुत्र सुरेश की गिरफ्तारी पर बागपत पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

कार्यवाही-

दिल्ली पुलिस ने प्रवेन्द्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत व अभियुक्ता राजबाला पत्नि नरेश राठी निवासी टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली पेश किया गया था । बागपत पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय पटियाला हाउस नई दिल्ली से आवश्यक वैधानिक आदेश प्राप्त कर जनपद बागपत लाया गया तथा दिनांक 06.08.2022 को माननीय न्यायालय बागपत के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में कारागार भेजा गया ।

रिमाण्ड पर लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- प्रवेन्द्र पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- राजबाला पत्नि नरेश राठी निवासी ग्राम टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त प्रवेन्द्र पुत्र सुरेश नि० कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत-

1. मु०अ०सं० 166/01 धारा 147/148/149/302/302/307/504/404 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2- मु०अ०सं० 152/20 धारा 25/27 आयुध अधि० थाना क्राईम ब्रांच दिल्ली ।
- 3- मु०अ०सं० 212/20 धारा 147/148/149/307/302/506/120B/34 भादवि थाना छपरौली बागपत ।
- 4- मु०अ०सं० 97/21 धारा 174 ए भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5- मु०अ०सं० 114/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।

अभियुक्ता राजबाला पत्नि नरेश राठी का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 76/08 धारा 147/148/149/307/302/341 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मु०अ०सं० 167/10 धारा 147/148/149/307/302 भादवि थाना रुडकी हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 3- मु०अ०सं० 243/14 धारा 147/148/149/307/302/120बी भादवि थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 4- मु०अ०सं० 289/14 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 5- मु०अ०सं० 489/17 धारा 386/120बी भादवि थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 6- मु०अ०सं० 510/17 धारा 386/120बी भादवि थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 7- मु०अ०सं० 571/17 धारा 25 आयुध अधि० भादवि थाना गंगनहर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 8- मु०अ०सं० 887/17 धारा 386/406/504/506/34 भादवि थाना कोतवाली नगर हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
- 9- मु०अ०सं० 711/15 धारा 171H भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10- मु०अ०सं० 212/20 धारा 147/148/149/120 B/307/302/506/34 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 11- मु०अ०सं० 53/22 धारा 174ए भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 12.मु०अ०सं० 114/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनाँक 06/08/2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 279/22 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक बैल्ट, 04 देशी शराब के खाली पाउच व कोका कोला की खाली बोतल बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 01/08/2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री अमित पुत्र चरण सिंह निवासी ग्वालीखेडा थाना बिनौली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई मनोज पुत्र चरण सिंह की हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 279/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 279/22 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक बैल्ट, 04 देशी शराब के खाली पाउच व कोका कोला की खाली बोतल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त शिवम ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पडोस का मृतक मनोज पुत्र चरण सिंह शराब पीने का आदि था इसी बात को लेकर मनोज व उसकी पत्नी (जो रिश्ते में पडोस के नाते से मेरे चाचा चाची लगते हैं) में आये दिन कहासुनी होती रहती थी। मैं व मनोज दोनो एक साथ रहते थे तथा हम दोनो शराब एक ही साथ पीते थे। मनोज की पत्नी मुझे अच्छी लगती थी जब भी इन दोनो के बीच कहासुनी होती थी मैं बीच वचाव करा देता था मैं मनोज की पत्नी से एकतरफा प्यार करने लगा था । मैंने अपने मन मे यह प्लान बनाया कि यदि चाचा मनोज नही होंगे तो उसकी पत्नी मेरी हो जायेगी, इसी योजना के तहत दिनांक 29.07.2022 को सुबह समय करीब 8.30 बजे मैं अपनी बहन के यहा कोथली देने के बहाने से मनोज को उसकी पत्नी के सामने घर से बुलाकर ले गया था हम दोनो पैदल-पैदल खेतो के रास्ते तेडा शराब के ठेके पर गये ठेके पर कैमरा लगा था इसलिए मैं ठेके से पहले ही रूक गया था, मनोज 04 शराब के पाउच व एक कोका कोला की बोतल में पानी भरकर लाया, फिर हम पैदल पैदल रजवाहे की पटरी के रास्ते होते हुए एक आम के बाग में गये तथा आम के पेड के नीचे बैठकर शराब पीने लगे, मैंने 03 शराब के पाउच मृतक मनोज को पिलाये थे तथा एक पाउच मैंने पिया था । जब मनोज को नशा हो गया तो प्लान के मुताबिक मैंने अपने दोनो हाथो से व अपनी बैल्ट की मदद से मनोज का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- शिवम पुत्र तेजपाल निवासी ग्वालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना मे प्रयुक्त एक बैल्ट ।
- 04 देशी शराव के खाली पाउच ।
- कोका कोला की खाली बोतल ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री नोवेन्द्र सिंह सिरौही थाना सिंघावली अहीर ।

2- उ0नि0 श्री विनोद कुमार ।

3-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।

4-का0 467 टिंकू अधाना थाना ।

5-का0 395 ललित रौसा ।

6-का0 44 संजीव कुमार ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनाँक 06.08.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 152/22 धारा 392/411 भादवि व मु0अ0सं0 155/22 धारा 392/427/411 में वांछित एक शातिर लूटेरों को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटी हुई एक मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस व लूटे हुए रूपयों में से 1430/ रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 19.06.22 को थाना दोघट पर वादी श्री भौल्लर उर्फ गौरव पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम पलडी ने सूचना दि कि पलडी के स्कूल के पास उसकी मोटरसाईकल स्पलेण्डर प्लस नम्बर DL-4SDM- 2718 व एक मोबाईल फोन REALME-7 अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया । इस सम्बन्ध



में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 152/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

2-दिनांक 22.06.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री मोहित तोमर पुत्र नरेन्द्र तोमर निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि वह डिलीवरी करने हेतु मांगरोली से पुसार की तरफ रास्तें पर जाते समय 03 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से आकर तमंचे के बल पर उससे 15426/ रूपये छीन लिये तथा उसका मोबाईल फोन तोड कर भाग गये । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 155/22 धारा 392/427 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर वांछित/लूटेरें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 152/22 धारा 392/411 भादवि व मु०अ०सं० 155/22 धारा 392/427/411 में वांछित 01 शांतिर लूटेरें को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से लूटी हुई एक मो०सा० स्पलेण्डर प्लस नम्बर DL-4SDM- 2718 व लूटे हुए रूपयों में से 1430/ रूपये नगद बरामद हुये है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सचिन उर्फ मूले पुत्र कालूराम निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- लूटी हुई एक मो०सा० स्पलेण्डर प्लस नम्बर DL-4SDM- 2718 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 152/22 धारा 392/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत)।
- लूटे हुये रूपयों में से 1430/ रूपये नगद (सम्बन्धित मु०अ०सं० 155/2022 धारा 392/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत)।

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन उर्फ मूले का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 152/2022 धारा 392/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु०अ०सं० 155/22 धारा 392/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक जनक सिंह चौहान थाना दोघट जनपद बागपत।

2- उ०नि० नत्थुलाल थाना दोघट।

3- उपनि० श्री रामकुमार थाना दोघट।

4- उपनि० श्री नकुल राठी थाना दोघट।

5- है०का० 332 सचिन कुमार थाना दोघट।

6-का० 807 श्रीपाल मलिक थाना दोघट।

7-का० 991 नवीन कुमार थाना दोघट बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 719/22 धारा 452/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15/07/2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रविन्द्र उर्फ बिहू पुत्र सतपाल निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1. हरेन्द्र पुत्र सतपाल 2. लोकेश पुत्र लहरी 3.अश्वनी पुत्र लोकेश 4. आदि पुत्र लोकेश निवासीगण ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर लाठी, डण्डा, सरिया से वादी के घर में घुसकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 719/22 धारा 452/323/506 भादवि में पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 719/22 धारा 452/323/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अश्वनी पुत्र लोकेश चौधरी निवासी ग्राम बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री विनोद कुमार कोतवाली बागपत ।

2-का0 1130 सोनू तेवतिया थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 756/22 धारा 363/354
भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 756/22 धारा 363/354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अपहृता को पूर्व में बरामद किया जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-वसीम पुत्र रियाज निवासी ग्राम पछुआ टोली सुरसांग जनपद गुमला झारखण्ड ।
हाल निवासी MRF भट्टा नौरोजपुर गुर्जर रोड थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री सुरेश कुमार कोतवाली बागपत ।
2-का0 160 रिंकू थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 06.08.2022

थाना बिनौली पुलिस व साइबर सैल की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 183/22 धारा 66E आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन रेडमी 9 प्राइम बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस व साइबर सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 183/22 धारा 66E आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन रेडमी 9 प्राइम टूटा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आशुतोष पुत्र अभिषेक निवासी सुभाषनगर सरवट फाकट मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी विवरण:-

- एक मोबाइल फोन रेडमी 9 प्राइम टूटा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री आदित्य कुमार थाना बिनौली ।
- 2- है0का0 99 मुनीष शर्मा थाना बिनौली

साइबर सैल -

- 1.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह साइबर सैल बागपत

- 2.का0 464 ललित मोरल साइबर सैल बागपत
- 3.का0 248 अमित कुमार साइबर सैल बागपत
- 4.का0 146 अजय यादव साइबर सैल बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनाँक 06.08.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 651/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 09 बण्डल विद्युत केबल व 05 बण्डल कॉपर के तार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.07.22 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी श्री सत्यवीर सिंह पुत्र ब्रहम सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 17/18.07.22 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उसकी ट्यूबवैल से विद्युत केबल, तथा पडौसी प्रमोद पुत्र मथन सिंह, राकेश पुत्र धर्मवीर, पीतम पुत्र कर्म सिंह, सतवीर पुत्र रामशरण, समे सिंह पुत्र रामचन्द, भोपाल पुत्र लाला, उदयवीर पुत्र पीतम सिंह व सरकारी ट्यूबवैल 196 LG से विद्युत केबल, स्टार्टर व आपरेटर चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 651/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 651/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 09 बण्डल विघुत केबल तथा 05 बण्डल कॉपर तार बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

- 1- बबलू पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2- काले पुत्र पीतम निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3- सन्जू पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 09 बण्डल विघुत केबल।
- 05 बण्डल कॉपर के तार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत, बागपत
- 2-हे0का0 348 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना बडौत, बागपत
- 3-हे0का0 414 मान सिंह थाना बडौत, बागपत
- 4- का0 262 कवित कुमार थाना बडौत, बागपत
- 5- का0 257 बलजीत सिंह थाना बडौत, बागपत
- 6- का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत, बागपत



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 06.08.22

**थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 243/2022 धारा
147/148/324/354ख/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.06.2022 को थाना खेकड़ा पर वादिया श्रीमति शबनम पत्नी अबरार निवासी करबला मौहल्ला बाल्मिकी चौक के पास कस्बा व थाना खेकड़ा ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1. फिरोज पुत्र सराजु 2. अब्बास पुत्र फिरोज 3. उसमान पुत्र फिरोज 4. नजमा पुत्री फिरोज 5. नाजरीन पुत्री फिरोज समस्त निवासीगण करबला मौहल्ला बाल्मिकी चौक के पास कस्बा व



थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर धारदार हथियार व लाठी डन्डो से लैस होकर वादिया व उसके पति अबरार व पुत्र अनस व पुत्री सहजादी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे वादिया का पति बेहोश हो गया तथा वादिया के साथ बदतमीजी की गई । जिसके सम्बन्ध में थाना खेकड़ा मु0अ0सं0 243/22 धारा 147/148/324/354ख/308 भादवि पंजिकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 243/22 धारा 147/148/324/354ख/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अब्बास पुत्र फिरोज करबला मौहल्ला बाल्मिकी चौक के पास करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना खेकडा बागपत ।
2. है0का0 284 श्यौराज सिंह थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 06.08.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-नसीम पुत्र बसीर खां निवासी ग्राम ओतो थाना दिवियापुर जनपद औरैया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना सि0अहीर
2. का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सि0अहीर



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 06.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 57/22 धारा 379 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22/01/2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री रवि चौहान पुत्र रोहनपाल निवासी ग्राम लूम्ब ने सूचना दी कि दिल्ली रोड गैस एजेन्सी के पास बागपत से अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मो.सा. चोरी कर ली गई है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 57/22 धारा 379 भादवि में पंजीकृत किया गया था ।



नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त कासिम को मय चोरी की मो0सा0 के गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 57/22 धारा 379 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-काला उर्फ गुलफाम पुत्र यामीन निवासी ग्राम नयागांव हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि० श्री सुरेश कुमार कोतवाली बागपत ।

2-का० 160 रिकू थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 06.08.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1. लोकेन्द्र पुत्र जगू निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. शिवकुमार पुत्र हरद्वारी निवासी ग्राम मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र०नि० श्री विरजा राम थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० श्री बृजेश पौनिया थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- का० 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।